सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 55 / 2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

कालू पुत्र सूरजा जाति मीणा निवासी आलोली तहसील सावर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. सेवाराम पुत्र नानूराम मीणा
2. सायर पुत्री नानूराम मीणा
3. अमरी पुत्री नानूराम मीणा
4. गलकू पत्नि नानूराम मीणा
5. ऐजन पुत्री गोकल मीणा
6. घीसालाल पुत्र सोहन मीणा
7. शिवराम पुत्र सोहन मीणा
   समस्त निवासीगण आलोली तहसील सावर जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर।

प्रतिवादी

9. बरदी पत्नि सूरजा मीणा निवासी ग्राम आलोली तहसील सावर जिला अजमेर

प्रफोर्मा प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 21.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम आलोली तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता नम्बर 283 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बरान कुल किता 10 कुल रकबा 2.81 हैक्ट. का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा व मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार आराजीयात में 1/4 हिस्सा बराबर–बराबर दर्ज है। वादी ने वादग्रस्त आराजी के बटवारा करने हेतु प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने बंटवारा करने से इन्कार करते हुए लडाई–झगडे पर आमादा हो गये जिसके कारण वादी ने यह दावा वादग्रस्त आराजी का बंटवारा हेतु पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे। प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा वादपत्र पूर्व दिनांक 27.04.2018 को न्यायालय हाजा में पेश किया है जिसमें आज पत्रावली केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार आलोली में पेश हुई जहां वादी उपस्थित है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के केम्पकोर्ट आलोली में उपस्थित है जो हस्ताक्षर करने से इन्कार करते है लिहाजा प्रकरण में वादी व प्रतिवादी 8 व 9 को सुना गया। विवरण निम्न प्रकार है–

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के केम्पकोर्ट आलोली में उपस्थित है जिन्होने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है तथा वादपत्र का जवाब आदि पेश नही किया है किन्तु वादी का दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज है। लिहाजा प्रकरण में बंटवारा करने में कोई एतराज नही होना मजमें आम में जानकारी से जाहिर हुआ है। वादी ने इस बाबत नकल जमाबन्दी संवत 2072–75 खाता नम्बर 283 की

फोटोप्रति पेश की है। वदी ने वादग्रस्त आराजी बाबत पेरोकार सरकार से वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 के खाता संख्या 296 की प्रति पेश की है जिसमें वादग्रस्त आराजी सुरज्या, नानू, सोहन पि. हरदेव, मु0 ऐजन, दुखतर, गोकल कौम मीणा सा.देह हिस्सा बराबर खातेदार बन्धक पंचायत समिति केकड़ी ता. अदायगी ऋण दर्ज होकर जरिये नामा. संख्या 296 दिनांक 02.06.1992 से मृतक सुरज्या के स्थान पर बरदी बेवा सुरज्या कालू पुत्र सुरज्या के नाम अंकन स्वीकार होने व शेष इन्द्राज बदस्तूर रखा गया का नोट अंकित है जिससे यह जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तेनी आराजीयात है। मुताबिक वादपत्र के पेरा संख्या 4 वादग्रस्त आराजी पुश्तेनी होकर मौके पर तो अपने हिस्से अनुसार बंटवारा हो रखा है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा नही होने से आये दिन वादी एवं प्रतिवादीगण में कहासुनी होती है। वादग्रस्त आराजी में वादी प्रतिवादीगण का पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आने से वादी का दावा प्रेमापेशाई केश होना पाये जाने से वादपत्र का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा कब्जा भी दोनो पक्षों का अपने हिस्से अनुसार होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम आलोली तहसील सावर जिला अजमेर के खाता नम्बर 283 में वर्णित कुल किता खसरा नम्बर 10 कुल रकबा 2.81 हैक्ट का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी में वादी के हिस्से तक की आराजी में उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त भुमि का मुताबिक हाल जमाबन्दी व मौके के अनुसार बटवारा प्रस्ताव मय मौका पर्चा, नजरी नक्शा के तैयार कर न्यायालय हाजा में आगामी पेशी दिनांक 16.07.2018 को पेश हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 21.05.2018 को पृथक से लिखा जाकर केम्पकोर्ट आलोली में मजमे आम में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी